करेदला पार्थसारधी

बनाम

गंगुला रामनम्मा (डी) थ्रू लीगत हेयर्स एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 3872/2009)

04 दिसंबर, 2014

[एम. वाई. एक्बाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपतिगण]

अनुमान - विवाह की वैधता के बारे में अनुमान - मुकदमे की संपत्ति के मूल मालिक की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई-अपीलकर्ता, मृतक के भाई ने मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार का दावा किया और प्रतिवादी संख्या के खिलाफ बेदखली के लिए मुकदमा दायर किया। 1 जिसके पास मुकदमे की संपत्ति थी - ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या के दावे को खारिज कर दिया कि उसका विवाह मूल मालिक से हुआ था, उसने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध बेदखली का डिक्री पारित कर दिया - प्रतिवादी सं. 1 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और अपील और लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी इस आधार पर दायर किया कि वह प्रतिवादी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है और प्रतिवादी नं. 1 ने अपने पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी और वादग्रसत मकान उसे सौंप दिया था - उच्च न्यायालय ने आवेदन की अनुमति दी और प्रतिवादी नंबर 1 को अपील पर

मुकदमा चलाने की अनुमति दी - इसके बाद, उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि यह धारणा बनाई जा सकती है कि एक महिला पत्नी है एक आदमी जिसके साथ वह बहुत लंबे समय तक रही और उनके लंबे संबंध के कारण और प्रतिवादी नंबर 1 को उसकी पत्नी के रूप में पहचाना जा सकता है – अभिनिर्धारित किया गया : उच्च न्यायालय का विवादित आदेश सबूतों की उचित कानूनी और न्यायसंगत होने पर आधारित था, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - हालाँकि, सीपीसी की धारा 96 के तहत अपने पहले अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के पास की गई सराहना से स्वतंत्र साक्ष्य की सराहना करने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था। विचारण न्यायालय द्वारा और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आना - उच्च न्यायालय को मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज देना चाहिए था, लेकिन इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आदेश 22 नियम 5 के प्रावधान का सहारा लेना चाहिए था कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 मृतक प्रतिवादी नंबर 1 का कानूनी प्रतिनिधि था और यदि हां, तो चाहे दत्तक पुत्र की क्षमता में हो या वसीयत के बल पर वसीयतकर्ता के रूप में, अपील के सत्र को बरकरार रखते हुए, मामले को प्रतिवादी नंबर 1 की स्थिति के मुद्दे पर निर्णय लेने और निष्कर्ष वापस करने के लिए विचारण न्यायालय में भेजा जाता है। - सिविल प्रक्रिया संहिता।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 - आदेश XVI नियम 25 सपठित आदेश XXII, नियम 5 परंतुक - शक्ति का प्रयोग, दायरे के अंतर्गत - चर्चा की गई।

विचारण न्यायालय को कुछ निश्चित निष्कर्ष वापस करने का निर्देश देते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : 1.1 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक अनुमान निकाला जा सकता है कि एक महिला उस पुरुष की पत्नी है जिसके साथ वह बहुत लंबे समय तक रही और उनके लंबे सहयोग के कारण उसे उसकी पत्नी के रूप में पहचाना जा सकता है। पहले प्रतिवादी द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से रखी गई विभिन्न परिस्थितियों से यह भी संकेत मिलता है कि उसे मृतक की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी, जो मुकदमे की संपत्ति का मालिक था, इसलिए, उसे उसकी पत्नी के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि वादी और दूसरे प्रतिवादी ने दावा किया कि वे मृतक के भाई और बहन हैं, उन्होंने सल्ट भरने से लगभग चार दशक पहले मृतक के साथ संबंध तोड़ दिए थे और उन व्यक्तियों को उसके ठिकाने के बारे में भी पता नहीं था। मुलाकातों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ और उन्होंने घर के निर्माण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए मृतक की कभी भी मदद या वित्त पोषण नहीं किया। चूंकि मृतक के नाम पर घर है, इसलिए उन्होंने मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उस पर दावा करने का विचार बनाया। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि यह सबूतों की

उचित सराहना पर आधारित था और न्यायसंगत, कानूनी और उचित होने के कारण, इसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सीपीसी की धारा 96 के तहत अपने प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के पास ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई सराहना से स्वतंत्र साक्ष्य की सराहना करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था। इस निष्कर्ष को उलटने का कोई आधार नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। [पैरा 21,22 और 23][85-ई; 89-एफ-एच; 90-ए-सी; जी-एच; 91-ए-सी]

ठाकुर गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी @ उषा रानी 1952 एससी 231: 1952 एससीआर 825; मदन मोहन सिंह एवं अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य (2010) 9 एससीसी 209: 2010 (10) एससीआर 30 – निर्भरता व्यक्त की गई।

2. यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष व्यक्ति मृत वादी या प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि है, सीपीसी के आदेश XXII नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए आदेश XXII नियम 5 परंतुक के प्रावधान का सहारा लेते हुए मामले को विचारण न्यायालय में भेज देना चाहिए था कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 मृत प्रतिवादी नंबर 1 का कानूनी प्रतिनिधि था और यदि हां, तो किस हैसियत से - वसीयत के बल

पर दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी। दूसरे,इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहले निर्णय किए बिना, उच्च न्यायालय न तो आवेदन की अनुमति दे सकता था और न ही वह गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता था। यह एक ऐसा मामला था जहां प्रश्न की जांच आवश्यक थी और यह केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही की जा सकती थी। प्रतिवादी क्रमांक 1, प्रतिवादी क्रमांक 1 और मृतक के विवाह से पैदा हुआ प्राकृतिक पुत्र नहीं था और न ही उसका मृतक के साथ कोई रक्त संबंध था। अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु के कारण, यह प्रश्न उठा कि उसके हित का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा सीपीसी के आदेश XXII नियम 4 के तहत दायर आवेदन को स्वीकार करने का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे अलग रखा जाना चाहिए। अपील के सत्र को बरकरार रखने और विचारण न्यायालय से निष्कर्ष आमंत्रित करने से समय की बचत होगी, लागत लगने से बचा जा सकेगा और मुकदमेबाजी के चरणों में कटौती होगी और मुकदमा जो 1985 से लंबित है वह जल्दी समाप्त हो जाएगा और इस तरह का सहारा लेने से किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होगा। किसी भी पक्ष के लिए कारण होगा क्योंकि जहां तक गुण-दोष के आधार पर अन्य मुद्दों का संबंध है, और अंत में, आदेश XLI नियम 25 में आने वाली अभिव्यक्ति "अपीलीय न्यायालय" को आदेश XXII नियम 5 प्रावधान के साथ पढ़ा जाएगा, जिसमें न केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय शामिल होगा, बल्कि इसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय भी शामिल होगा। दूसरा अपीलीय

न्यायालय और यह न्यायालय एक बार अपीलकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति दे देता है। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, हमेशा आदेश XXII नियम 5 परंतुक के साथ पठित आदेश XLI नियम 25 के तहत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और विशेष रूप से तब जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय पक्षकारो के अधिकारों के उचित निर्धारण के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हो। विचारण न्यायालय संबंधित सभी पक्षों को आवेदन का जवाब दाखिल करने और मुकदमे में पहले से पेश किए गए सबूतों के अलावा सबूत पेश करने का अवसर देने के बाद जांच करेगा और सबूतों के साथ तर्कसंगत निष्कर्षों को इस अदालत में वापस कर देगा। [पैरा 24, 25, 28, 29, 30, 32 और 35][91-ई; 94-बी-डी; एफ-जी; 95-ए-बी; एफ-एच; 96-ए-बी; जी-एच]

जलादि सुगुना (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम सत्य साल सेंट्रल ट्रस्ट और अन्य। (2008) 8 एससीसी 521: 2008 (7) एससीआर 734- निर्भर व्यक्त की गई।

केस कानून संदर्भ:

1952 एससीआर 825 भरोसा व्यक्त किया पैरा 19

2010 (10) एससीआर 30 भरोसा व्यक्त किया पैरा 20

2008 (7) एससीआर 734 भरोसा व्यक्त किया पैरा 26

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 3872 / 2009

अपील वाद सं. 1842/1996 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय,हैदराबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19-12-2008 से ।

प्रमोद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता , श्रीमती अंजनी अय्यगारी, सुश्री सुषमा वर्मा, राम लाल रॉय, यू. वी. रामा, अपीलार्थी के लिये।

माधवी दीवान, डी. भरत कुमार, टी. भास्कर गौतम, अभिजीत सेनगुप्ता, प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील वादी द्वारा अपील सूट संख्या 1842/ 1996 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 19.12.2008 के खिलाफ दायर की गई है, जो कि द्वितीय अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, विजयवाड़ा द्वारा ओ.एस. 15/1985 में पारित किये गये निर्णय और डिक्री दिनांक 15.03.1996 से उत्पन्न हुई है

2. आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 (यहां प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर पहली अपील की अनुमति दी, ने विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को उलट दिया, जिसने प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ वादग्रस्त मकान के संबंध

में वादी के निष्कासन के मुकदमे का फैसला सुनाया था और परिणामस्वरूप वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

3. तो इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पहली अपील को स्वीकार करना उचित था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निष्कासन के लिए वादग्रस्त मकान के संबंध में दायर वादी के मुकदमे को खारिज करना उचित है?

4. इस अपील में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताना आवश्यक है।

5. विवाद विजयवाड़ा की नगर निगम सीमा के भीतर "गुनाडाला" नामक क्षेत्र में स्थित मकान नंबर आरएस 233/1 से संबंधित है, जिसका दरवाजा नंबर 2/172 (पुराना मूल्यांकन नंबर 225), नया नंबर 37687 (वादपत्र से संलग्न अनुसूची में विस्तार से वर्णित है) (इसके बाद इसे "वादग्रस्त मकान" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

6. एक कैरेडला सत्यनारायण ने एक श्रीमती अब्दुल अमीना बी और उसकी बहन से पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 15.12.1975 द्वारा वादग्रस्त मकान खरीदा। खरीदारी के समय वहां केवल खपरैल का मकान था। इसके बाद उन्होंने वादग्रस्त मकान का पुनर्निर्माण किया। 19.12.1983 को उनकी बिना वसीयत मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर, वादी (यहाँ

अपीलकर्ता), जो स्वर्गीय करेडला सत्यनारायण का सगा भाई है, ने दावा किया कि वादग्रस्त मकान उसे और उसकी बहन (प्रतिवादी संख्या 2) को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम") से जुड़ी अनुसूची में वर्ग II (II) (3) (4) में निर्दिष्ट उत्तराधिकारी होने के नाते समान हिस्से में हस्तांतरित कर दिया गया है। हालाँकि, वादी को वादग्रस्त मकान पर कब्ज़ा नहीं मिल सका क्योंकि उसने देखा कि प्रतिवादी नं. 1 स्वयं को इसके कब्जे में होने का दावा कर रही थी और वादी द्वारा मांगे जाने पर इसे खाली करने से इनकार कर दिया। वादी ने यह भी देखा कि प्रतिवादी सं. 1 सत्यनारायण की पत्नी के रूप में मृत्यु के बाद वादग्रस्त मकान पर अपना मालिकाना हक जता रही थी। इसलिए, 20.10.1984 को, वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 उससे वादग्रस्त मकान खाली करने और उसका कब्जा वादी को सौंपने का आह्वान करते हुये कानूनी नोटिस दिया।

7. चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने नोटिस की तामील के बावजूद वादग्रस्त मकान खाली नहीं किया, वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1) के खिलाफ बेदखली का मुकदमा द्वितीय अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश, विजयवाड़ा की अदालत में दायर किया। यह मुकदमा अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों पर स्थापित किया गया था कि के. सत्यनारायण की मृत्यु के बाद, अधिनियम की वर्ग II (II) (3) सपठित धारा 8 के तहत प्रावधान के अनुसार वादग्रसत मकान वादी को हस्तांतरित कर दिया गया, जो उसका भाई था। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 को के.

सत्यनारायण ने अपना खाना पकाने के लिए नियुक्त किया था। यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि के. सत्यनारायण कुंवारे थे, इसलिए उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रसत मकान में उसके केयरटेकर के रूप में रहने के लिए और इसलिए भी कि वह विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य होने के नाते ज्यादातर विभिन्न स्थानों के दौरे पर रहते थे, अनुमति दी। यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी सं. 1 के पास वादग्रसत मकान पर न तो कोई स्वामित्व था और न ही कोई किरायेदारी अधिकार था। आगे यह आरोप लगाया गया कि एक नौकर के रूप में भी, उसे वादग्रसत मकान के कब्जे में रहने का कोई अधिकार नहीं था और किसी भी स्थिति में, के. सत्यनारायण की मृत्यु के बाद, उसके और के. सत्यनारायण के बीच रोजगार का तथाकथित अनुबंध हुआ। अंत में, वादग्रसत मकान में उसका अनुमेय कब्ज़ा अनधिकृत हो गया था और वह इसके वास्तविक मालिक - वादी - के रूप में अतिचारी का था। इसलिए, वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 से सूट हाउस के कब्जे और इसके गलत उपयोग के लिए 1000/- रुपये प्रति माह की दर से हर्जाने की डिक्री का दावा किया। वादी ने तरतीबी प्रोफार्मा प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में अपनी बहन को भी शामिल किया, उसके विरुद्ध किसी राहत का दावा किए बिना।

8. वाद के उत्तर में प्रतिवादी सं. 1 ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। वादी के मामले से इनकार करते हुए, यह आरोप लगाया गया कि वह के. सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी और दशकों से

उनके साथ सूट हाउस में रह रही थी। यह आरोप लगाया गया था कि सत्यनारायण की मृत्यु के बाद, वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी यानी पत्नी होने के नाते विरासत के कानून के आधार पर वादग्रसत मकान की एकमात्र मालिक बन गई। यह आरोप लगाया गया था कि उसने वादग्रसत मकान के नवीकरण में अपना पैसा लगाया, इसके मालिक के रूप में नगर निगम के रिकॉर्ड में अपना नाम बदल लिया और नगर निगम के करों का भुगतान किया। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि वादग्रसत मकान पर उसका कब्जा स्वामित्व के बल पर है और इसलिए उसे परेशान नहीं किया जा सकता है।

9. विचारण न्यायालय कोर्ट ने उपरोक्त दलीलों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

"1. क्या प्रतिवादी नंबर 1 स्वर्गीय सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है?

2. क्या वादी और दूसरा प्रतिवादी सर्वोच्च अनुसूची संपत्ति पर कब्जे के हकदार हैं?

3. किस राहत के लिए?

अतिरिक्त तनकी दिनांक 4.2.1992.

1. क्या वादी ने प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व को प्राथमिकता दी है?"

10. पक्षकारो ने सबूत पेश किए। दिनांक 15.03.1996 के फैसले और डिक्री द्वारा, विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमे पर फैसला सुनाया कि वादग्रसत मकान इसके एकमात्र मालिक के रूप में के. सत्यनारायण का है; कि के. सत्यनारायण की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई; कि वादी सत्यनारायण का भाई था; जैसा कि अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के खंड (I) (II) (3) सपठित धारा 8 के तहत प्रदान किया गया है, वादी को उसके मालिक के रूप में वादग्रस्त मकान विरासत में मिला है; वह प्रतिवादी सं. 1 अपने जीवनकाल के दौरान के. सत्यनारायण के लिए रसोइया के रूप में काम कर रही थी और उनकी नौकर होने के नाते, उन्होंने न तो कोई अधिकार, उपाधि और हित प्राप्त किया और न ही विरासत में मिला और न ही के. सत्यनारायण की मृत्यु के बाद वादग्रस्त मकान में कोई स्वामित्व अधिकार प्राप्त किया। इन निष्कर्षों के साथ, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वादग्रस्त मकान के संबंध में बेदखली का आदेश पारित किया गया।

11. उक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए प्रतिवादी सं. 1 ने उच्च न्यायालय के के समक्ष प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपील के विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 09.06.2000 को प्रतिवादी सं. 1 गंगुला रामनम्मा (प्रथम अपील में अपीलकर्ता) की मृत्यु हो गई। 09.09.2000 को, के संजीव राव (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1) ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश XXII नियम 4 (इसके बाद

'सीपीसी' के रूप में संदर्भित) के तहत सीएमपी संख्या 17902 /2000 के तहत एक आवेदन दायर किया, और प्रार्थना की कि मृत अपीलकर्ता के स्थान पर उसका नाम रखा जाए। यह आरोप लगाया गया था कि वह मृतक प्रतिवादी संख्या 1 (अपीलकर्ता) का दत्तक पुत्र है और दूसरा, प्रतिवादी नं. 1 ने 02.01.1984 को अपने पक्ष में एक वसीयत भी निष्पादित की है, जिसमें वादग्रसत मकान को उसके नाम कर दिया गया है। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 1 के कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते, या तो उनके दत्तक पुत्र के रूप में या/और दिनांक 02.01.1984 की वसीयत के आधार पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में, उन्हें अपील को चलाने चलाने और गुणदोष के आधार पर वाद जारी रखने का अधिकार है। वादी (जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में प्रतिवादी था) ने आवेदन का विरोध किया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.10.2000 के आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया और के संजीव राव को अपीलकर्ता बनने और योग्यता के आधार पर अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। दिनांक 09.10.2000 का आदेश इस प्रकार है:

> "सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश 22 नियम 4 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि इसके साथ दायर हलफनामे में बताई गई परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता/प्रस्तावित उपरोक्त अपीलकर्ता नंबर 2 को दूसरे अपीलकर्ता के रूप में ए.एस. संख्या 1842/96 लाने में प्रसन्न होगा" और मृत अपीलकर्ता श्रीमती

रामनम्मा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी संबंधित कार्यवाही।

याचिका और उसके समर्थन में दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद यह याचिका सुनवाई के लिए आ रही है, श्री वी.एस.आर. अंजनेयुलु याचिकाकर्ता के वकील और श्री ओ. मनोहर रेड्डी, श्री जी. विवेकानन्द के लिये, प्रतिवादी के लिये वकील ।

इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया:

"आदेश दिया गया"

12. तदनुसार, अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर की गई।

13. आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पहली अपील को स्वीकार किया, जिस पर जैसा कि ऊपर कहा गया था, के. संजीव राव द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा था और विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को पलटते हुए वादी की अपील को खारिज कर दिया। यह माना गया कि वादी स्वर्गीय के. सत्यनारायण का भाई था और के. सत्यनारायण की मृत्यु बिना वसीयत किए हुई थी। हालाँकि, उच्च न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 (सुश्री गंगुला रामनम्मा) की स्थिति के मुद्दे पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से असहमत था। उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष को

उलट दिया और माना कि प्रतिवादी संख्या 1 स्वर्गीय के. सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। इस निष्कर्ष के उलट होने के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 को के. सत्यनारायण की मृत्यु के बाद वादी और प्रतिवादी नंबर 1 को छोड़कर, उनकी पत्नी के रूप में वर्ग-1 उत्तराधिकारी के रूप में सूट का घर विरासत में मिला। क्योंकि दोनों द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी थे। स्वर्गीय के. सत्यनारायण के भाई और बहन होने के नाते और इस प्रकार उन्हें स्वर्गीय के. सत्यनारायण की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं था। इन निष्कर्षों के साथ, उच्च न्यायालय ने पहली अपील की अनुमति दी और परिणामस्वरूप वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिससे वादी द्वारा इस अपील को दाखिल करने का मौका मिला।

14. अपीलकर्ता (वादी) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रमोद स्वरूप ने आक्षेपित निर्णय की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाते हुए मुख्य रूप से पांच तर्क उठाए। सबसे पहले, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 की अपील को अनुमति देकर गलती की और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक इस तरह के उलटफेर का न तो कोई आधार था और न ही कारण। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि इस सवाल पर कि क्या प्रतिवादी नंबर 1 स्वर्गीय के. सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी या नहीं, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कसंगत निष्कर्ष को किसी ठोस सबूत के

अभाव में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाना चाहिए था। उनके अनुसार, इस मुद्दे पर विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि वह उनकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी, उचित, कानूनी और उचित था और इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए था। तीसरा, उसने तर्क दिया कि जब माना जाता है कि वादी स्वर्गीय के. सत्यनारायण का सगा भाई था, तो वह मृत्यु पर अधिनियम से जुड़ी अनुसूची के वर्ग II (II) (3) सपठित धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय के. सत्यनारायण के वादग्रस्त मकान को विरासत में पाने का हकदार था। चौथा, उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी घटना में, बाद की घटना के कारण जो अपील के लंबित रहने के दौरान अस्तित्व में आई यानि कि 09.06.2000 को प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु पर, वादग्रस्त मकान वादी को हस्तांतरित हो गया क्योंकि के. सत्यनारायण के परिवार में कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था जो उसके बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था, सिवाय इसके कि वादी निकटतम द्वितीय श्रेणी का उत्तराधिकारी था। भाई के रूप में और इसलिए उन्हें वादग्रसत मकान के मालिक के रूप में उत्तराधिकारी होने का हकदार माना जाना चाहिए और अंत में, उन्होंने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने सीपीसीके आदेश XXII नियम 4 के तहत के. संजीव राव (यहां प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने में गलती की है। उनके अनुसार, आवेदन की अनुमति देने वाला आदेश आदेश XXII नियम 5 परंतुक में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को दर्ज किए

बिना कि क्या के. संजीव राव प्रतिवादी नंबर 1 के कानूनी प्रतिनिधि थे और यदि हां, तो किस हैसियत से यानि कि, प्रतिवादी नंबर 1 का दत्तक पुत्र या वसीयत दिनांक 02.01.1984 के आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करने का आरोप है। विद्वान वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह आदेश XXII के नियम 5 के प्रावधान के अनुसार के. संजीव राव की मृत प्रतिवादी संख्या 1 की स्थिति निर्धारित करने के लिए जांच करने के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज दे और फिर निष्कर्ष के आधार पर, उसे अपीलकर्ता बनने और अपील पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी निष्कर्ष के अभाव में, आक्षेपित निर्णय भी कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

15. प्रतिवादी नंबर 1 (के. संजीव राव) के वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है, जो अपील को खारिज किया जाकर कायम रखे जाने योग्य है।

16. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद, हम गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय के एक निष्कर्ष को बरकरार रखने और इस न्यायालय को सक्षम करने के लिए सीमित विशिष्ट प्रश्नों पर जांच करने के लिए मामले को रिमांड पर लेने के इच्छुक

हैं। अंततः जांच के लिए तैयार किए गए सवालों पर दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में अपील पर फैसला करें।

17. सबसे पहले मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि प्रतिवादी संख्या 1 (गंगुला रामनम्मा) स्वर्गीय के. सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करने में उचित था दूसरे शब्दों में, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटना उचित है।

18. यह सवाल कि किन परिस्थितियों में, न्यायालय विवाह की वैधता के बारे में अनुमान लगा सकता है, मुल्ला ने अपनी पुस्तक- हिंदू लॉ, 17 वें संस्करण में अनुच्छेद 438, पृष्ठ 664 में शीर्षक 1 " विवाह की वैधता के बारे में अनुमान" के तहत संक्षेप में समझाया था। " - निम्नलिखित शब्दों में:

> "438. विवाह की वैधता के बारे में धारणा - जहां यह साबित हो जाता है कि विवाह वास्तव में किया गया था, अदालत यह मान लेगी कि यह कानून में वैध है, और आवश्यक समारोह किए गए हैं। एक हिंदू विवाह को वैध माना जाता है अंग्रेजी कानून में विवाह.
>
> विवाह और वैधता के बारे में धारणा - विवाह की वैधता और उसकी संतानों की वैधता के पक्ष में एक अत्यंत मजबूत धारणा है यदि

कथित विवाह के समय से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पार्टियों को पुरुष और पत्नी के रूप में मान्यता दी जाती है और महत्वपूर्ण दस्तावेजो और महत्वपूर्ण अवसरो पर इसका वर्णन किया गया है। इसी तरह की धारणा इस सवाल पर भी लागू होती है कि क्या वैध विवाह समारोह की औपचारिक आवश्यकताएं पूरी की गई थीं। इसी तरह यह तथ्य कि एक महिला एक ऐसे पुरुष के नियंत्रण और संरक्षण में रह रही थी जो आम तौर पर उसके साथ रहता था और अपने बच्चों को स्वीकार करता था, एक मजबूत धारणा पैदा करता है कि वह उस पुरुष की पत्नी है। हालाँकि, इस धारणा का खंडन उन तथ्यों के प्रमाण से किया जा सकता है जो दर्शाते हैं कि कोई विवाह नहीं हो सकता था।"

19. ठाकुर गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी @ उषा रानी, एआईआर 1952 एससी 231 में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या तथ्यों/सबूत के आधार पर न्यायालय पक्षों के बीच वैध विवाह के अस्तित्व के बारे में निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और, यदि हां, तो ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेते समय कौन सा सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश - फ़ज़ल अली जे ने बेंच की ओर से बोलते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में इस प्रश्न की जांच की और ऐसे प्रश्न के निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:

"हमें ऐसा लगता है कि यह सवाल कि धारा 50 के तहत उन विशेष गवाहों के साक्ष्य कितने प्रासंगिक हैं, अकादमिक है, क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कई वर्षों तक लगातार सहवास विवाह की धारणा को बढ़ा सकता है। वर्तमान में मामले में, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वादी और राम पियारी कई वर्षों तक पति-पत्नी के रूप में रहे और उनके साथ व्यवहार किया गया, और, विपरीत निष्कर्ष की ओर इशारा करने वाली किसी भी सामग्री के अभाव में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे कानूनी रूप से विवाहित थे। लेकिन लंबे समय तक सहवास से जो धारणा बनाई जा सकती है, उसका खंडन किया जा सकता है, और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो धारणा को कमजोर या नष्ट कर देती हैं, तो अदालत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती।

20. हाल के समय में, यह न्यायालय मदन मोहन सिंह और अन्य बनाम रजनी कांत और अन्य (2010) 9 एससीसी 209, में कानून के उपरोक्त सिद्धांत पर भरोसा करते हुए, निम्नलिखित शब्दों में उसी सिद्धांत को दोहराया:

"24. अदालतों ने लगातार माना है कि जब एक पुरुष और महिला कई वर्षों तक लगातार एक साथ रहते हैं, तो कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के खिलाफ मानता है। हालांकि, इस तरह की धारणा को निर्विवाद सबूतों के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

(मोहब्बत अली खान बनाम मोहम्मद इब्राहिम खान, एआईआर 1929 पीसी 135, गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी, एआईआर 1952 एससी 231, एस.पी.एस. बालासुब्रमण्यम बनाम सुरुतायन, (1994) 1 एससीसी 460, रंगनाथ परमेश्वर पंडितराव मॉल बनाम एकनाथ गजानन कुलकर्णी, (1996) 7 एससीसी 681 और शोभा ह्यमावती देवी बनाम सेट्टी गंगाधर स्वामी, (2005) 2 एससीसी 244)"

21: अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को शब्दशः पुन: पेश करना उचित समझते हैं, जो फैसले में पैरा 26 से 30 में निहित है:

"26. जब पहली प्रतिवादी ने दावा किया कि वह स्वर्गीय सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, तो हमें उक्त तथ्य को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा रखी गई सामग्री की जांच करनी होगी। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पहली प्रतिवादी स्वर्गीय सत्यनारायण के साथ रहती थी। पहली प्रतिवादी का दावा है कि उनकी शादी लगभग 30 साल पहले राजमुंदरी में हुई थी। वे लगभग 10 वर्षों तक राजमुंदरी में रहे। अपने विवाह के दौरान, वह दो बार गर्भवती हुई और उन गर्भधारण को उसके पति के द्वारा गर्भपात करा दिया गया। आख़िरकार, उन्होंने स्वर्गीय सत्यनारायण के जीवनकाल में ही अपनी बहन के बेटे को गोद ले लिया। बाद में, वे राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गए, घर का निर्माण किया और गृह प्रवेश

समारोह आयोजित किया। उनका नाम मतदाता सूची में स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक थे, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि शादी या गृह प्रवेश समारोह या किसी अन्य अवसर के लिए कोई तस्वीर न ली जाए। उसके तर्क के समर्थन में, विजयवाड़ा के पड़ोसी डीडब्ल्यू-2 से पूछताछ की गई, जिसने कहा कि मृतक सत्यनारायण पहले प्रतिवादी का पति था। सभी की जानकारी में वे उक्त घर में पत्नी और पति के रूप में रहते थे। मृतक पहले प्रतिवादी को अपने साथ कुछ शिविरों में ले जाता था। डी-1 मकान का निर्माण कार्य भी देखता था। गृह प्रवेश समारोह के समय पूजा करने के लिए डी-1 और स्वर्गीय सत्यनारायण पत्नी और पति के रूप में बैठे थे। वादी एवं द्वितीय प्रतिवादी उक्त समारोह में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अंततः कहा कि डी-1 स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी है, लेकिन उनकी नौकरानी नहीं। जिरह में भी, उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि सत्यनारायण और डी-1 ने उनके इलाके में अपना निवास स्थानांतरित करने से पहले ही उनके घर के पास के मंदिर में शादी कर ली थी और चूंकि उन्हें कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उन्होंने संजीव राव नाम के एक लड़के को पाला। यद्यपि वादी ने डीडब्ल्यू 1 और 2 से जिरह की, लेकिन वह अपने इस तर्क के समर्थन में कोई अनुकूल जानकारी नहीं जुटा सका कि पहला प्रतिवादी स्वर्गीय सत्यनारायण के घर में केवल रसोइया

के रूप में रहता था, किसी भी अन्य हैसियत से नहीं। एक्जी पी 1 आंध्रा बैंक, विजयवाडा की एक कल्पतरुवु जमा रसीद है। आंध्रा बैंक के एक अधिकारी डीडब्ल्यू-1 ने बताया कि मृतक सत्यनारायण और पहले प्रतिवादी ने कल्पथारुवु सावधि जमा में 42,650/- रुपये की राशि रखी थी। सत्यनारायण ने बैंक को पत्र लिखकर सूचित किया कि परिपक्वता के बाद राशि का भुगतान या तो उसे या पहले प्रतिवादी को किया जा सकता है। रकम जमा करते समय आवेदन पर दोनों ने हस्ताक्षर किये थे. लेकिन, वह उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानते। सावधि जमा रसीद में, पहले प्रतिवादी को के. रामनम्मा के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन जी. रामनम्मा के रूप में नहीं, जो उसके माता-पिता का उपनाम है। यदि पहला प्रतिवादी स्वर्गीय सत्यनारायण के घर में रसोइया के रूप में रहता था, तो उसने उसे जमा करने में अपने साथ शामिल होने की अनुमति नहीं दी होती और उसने बैंक को पत्र नहीं लिखा होता कि वे परिपक्वता के बाद उसे राशि का भुगतान करें। यह भी यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूत परिस्थितियों में से एक है कि पहला प्रतिवादी स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी थी। परिपक्वता के बाद, डी-1 ने मृतक सत्यनारायण द्वारा दिए गए प्राधिकरण के अनुसार राशि निकाल ली। प्रदर्श बी- 42 एवं 44 द्वारा कवर की गई मतदाता सूचियों में, डी-1 का नाम स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी के रूप में दर्शाया गया था। यदि वह सत्यनारायण की पत्नी नहीं होती,

तो उन्होंने निश्चित रूप से उसे अपनी पत्नी के रूप में नामित न करने पर आपत्ति जताई होती, इसलिए, यह भी स्थापित करने के लिए मजबूत परिस्थितियों में से एक है कि पहला प्रतिवादी मृतक सत्यनारायण की पत्नी है। 1983 में, मृतक 53 वर्ष का था और पहली प्रतिवादी 32 वर्ष की थी। यद्यपि उनके बीच उम्र में 20 वर्ष का अंतर है, लंबे समय तक साथ रहने और लगातार एक ही घर में रहने के कारण, मृतक का पहले प्रतिवादी के प्रति स्नेह विकसित हुआ होगा और उससे पत्नी के रूप में विवाह किया। समाज की खातिर, उन्होंने यह संकेत देने के लिए सावधानी बरती होगी कि वह कुंवारे ही रहे। इलाके के डाकिये को डीडब्लू -5 के रूप में परीक्षित किया गया, जिसने बताया कि उसने 1980 से मृतक के घर में पहली प्रतिवादी को देखा था, लेकिन वह रिश्ते को नहीं जानता है और पहली प्रतिवादी को उसके नाम से पत्र प्राप्त होते थे। प्रदर्श बी-46 स्वर्गीय सत्यनारायण द्वारा संबोधित ऐसे पत्रों में से एक है, जिसमें पहले प्रतिवादी का पता के. रामनम्मा बताया गया है, जो उनके उपनाम का संकेत देता है। उक्त पत्र में, मृतक ने पहले प्रतिवादी को चिरंजीवी रामनम्मा के रूप में वर्णित किया और उल्लेख किया कि उसे घरेलू जरूरतों का ख्याल रखना है और खर्च की परवाह किए बिना कार्तिक सोमवार उत्सव करना है और संजीव राव (उनके पालक पुत्र) को अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए निर्देश देने की भी सलाह दी है। जिस तरह से पत्र लिखा गया है

उससे प्रथम प्रतिवादी के प्रति मृतक का स्नेह भी झलक रहा है. यदि पहली प्रतिवादी उसकी पत्नी नहीं होती, तो मृतक ने अपने माता-पिता के उपनाम गंगुला रामनम्मा के बजाय अपना नाम के. रामनम्मा नहीं बताया होता।

27. प्रदर्श एक्स - 2 द्वारा कवर किए गए बैंक को संबोधित पत्र में, मृतक ने पहली प्रतिवादी का नाम श्रीमती के. रामनम्मा बताया, जो एक संकेत भी है कि वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में वर्णित करने के अलावा सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में मान रहे हैं। विजयवाड़ा नगर पालिका के पूर्व पार्षद डीडब्ल्यू-6 ने बताया कि घर के निर्माण के बाद, पहली प्रतिवादी, उसकी मां और एक लड़का जिसका नाम संजीव राव है, स्वर्गीय सत्यनारायण के साथ उनकी मृत्यु तक वहां रहे। स्वर्गीय सत्यनारायण और पहला प्रतिवादी एक साथ रहते थे। इनके नाम मतदाता सूची में जगह पाते हैं. स्वर्गीय सत्यनारायण और प्रथम प्रतिवादी उससे इलाज कराते थे, क्योंकि वह एक डॉक्टर था और सत्यनारायण खुद इलाज के लिए डी-1 को लाते थे। जिरह में, डीडब्ल्यू-6 ने कहा कि पहला प्रतिवादी अपनी पत्नी की हैसियत से स्वर्गीय सत्यनारायण के घर में रह रही थी। वह उक्त तथ्य जानता है क्योंकि उन दोनों ने गृह प्रवेश समारोह के समय सत्यनारायण व्रत किया था। उन्होंने जिरह में कहा कि दिवंगत सत्यनारायण और

पहला प्रतिवादी पति-पत्नी हैं और उन्होंने संजीव राव को पाला, जो कोई और नहीं बल्कि पहले प्रतिवादी की बहन का बेटा है। प्रतिवादी के पोषित पुत्र डीडब्ल्यू-7 ने भी कहा कि पहला प्रतिवादी उसकी पोषित मां है और स्वर्गीय सत्यनारायण उसके दत्तक पिता थे। उनका पालन-पोषण इन दोनों ने किया। जब गृह प्रवेश समारोह के समय स्वर्गीय सत्यनारायण और डी-1 द्वारा सत्यनारायण व्रत किया गया तो सत्यनारायण के किसी भी रिश्तेदार ने समारोह में भाग नहीं लिया। उन्होंने वाद अनुसूची परिसर में स्वर्गीय सत्यनारायण का श्राद्ध भी किया।

28. उपरोक्त साक्ष्य पहले प्रतिवादी के इस तर्क को भी समर्थन दे रहा है कि वह स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी है। यह धारणा बनाई जा सकती है कि एक महिला उस पुरुष की पत्नी है जिसके साथ वह बहुत लंबे समय तक रही थी और उनके लंबे संबंध के कारण उसे उसकी पत्नी के रूप में पहचाना जा सकता है। पहले प्रतिवादी द्वारा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से रखी गई विभिन्न परिस्थितियों से यह भी संकेत मिलता है कि उसे स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए, वह स्वर्गीय सत्यनारायण की पत्नी के रूप में मानी जायेगी।

29. यद्यपि वादी और दूसरे प्रतिवादी ने दावा किया कि वे मृतक के भाई और बहन हैं, उन्होंने मुकदमा दायर करने से

लगभग चार दशक पहले मृतक के साथ संबंध तोड़ दिए थे और उन व्यक्तियों को उसके ठिकाने के बारे में भी पता नहीं था। मुलाकातों का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ और उन्होंने स्वर्गीय सत्यनारायण को घर के निर्माण या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कभी भी मदद या वित्त पोषण नहीं किया। चूंकि मृतक के नाम पर घर है, इसलिए उन्होंने मृतक सत्यनारायण के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उस पर दावा करने का विचार बनाया।

30. पहले प्रतिवादी के मृतक के साथ 33 वर्ष से अधिक लंबे संबंध के कारण और मृतक द्वारा पहले प्रतिवादी के प्रति दिखाए गए आचरण और स्नेह के कारण, यह कहा जा सकता है कि उसने खुद को गुप्त रूप से बताकर उससे शादी की थी। अविवाहित लड़की बाहरी दुनिया में चली गई और उसे आश्रय प्रदान करने की दृष्टि से, उसने घर का निर्माण किया और उसकी बहन के बेटे को डी-1 का उत्तराधिकारी बनाया। परिस्थितियों की समग्रता से संकेत मिलता है कि डी-1 स्वर्गीय सत्यनारायण की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, इसलिए, वह वर्ग -1 उत्तराधिकारी होने के नाते घर की संपत्ति की हकदार है।"

22. उपरोक्त उद्धृत निष्कर्ष को पढ़ने मात्र से पता चलेगा कि यह साक्ष्य की उचित सराहना पर आधारित है और न्यायसंगत, कानूनी और उचित होने के कारण, यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। इसके अलावा, सीपीसी की धारा 96 के तहत अपने प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय के पास विचारण न्यायालय द्वारा किए गए आवेदन की स्वतंत्र साक्ष्य की सराहना करने और उसके निष्कर्ष पर पहुंचने का पर्याप्त अधिकार क्षेत्र था। वास्तव में, यह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून का सुस्थापित सिद्धांत है, इस प्रश्न पर कोई विस्तृत चर्चा आवश्यक नहीं है।

23. इसलिए, हमें अपीलकर्ता द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद निष्कर्ष को उलटने और उसे बरकरार रखने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिला और तदनुसार यह माना गया कि प्रतिवादी नंबर 1 (दिवंगत गंगुला रामनम्मा) कानूनी रूप से स्वर्गीय के. सत्यनारायण की विवाहित पत्नी थी।

24. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है जो इस मामले के तथ्यों में समान रूप से महत्वपूर्ण है कि क्या के. संजीव राव (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा आदेश XXII नियम 4 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देना उच्च न्यायालय के लिए उचित था। क्या

सीपीसी ने उन्हें प्रतिवादी नंबर 1 के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपील पर मुकदमा चलाने के लिए अपीलकर्ता बनने की अनुमति देना उचित ठहराया?

25. यह प्रश्न कि क्या कोई विशेष व्यक्ति मृत वादी या प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि है, सीपीसी के आदेश XXII नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है जो निम्नानुसार है।

> "आदेश XXII नियम 5 - कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न का निर्धारण - जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसा प्रश्न न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा:
>
> बशर्ते कि जहां ऐसा प्रश्न किसी अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठता है, वह न्यायालय, प्रश्न का निर्धारण करने से पहले, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्न की सुनवाई करने और सबूतो के साथ रिकॉर्ड वापस करने का निर्देश दे सकता है, यदि कोई ऐसे मुकदमे में दर्ज किया गया हो, उसके निष्कर्ष और उसके कारण, और अपीलीय न्यायालय प्रश्न का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रख सकता है।"

26. जलादी सुगुना (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और अन्य, (2008) 8 एससीसी 521, में इस न्यायालय, के पास आदेश XXII नियम 4 और 5 की व्याख्या करने का अवसर था, न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन ने पीठ के लिए बोलते हुए आदेश XXII नियम 4 और 5 में अंतर्निहित वस्तु की जांच करने के बाद निम्नानुसार कहा:

> "15. कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन दाखिल करना, कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के बराबर नहीं है। जब एक विधिक प्रतिनिधि आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और तय करना चाहिए कि क्या उसमें नामित व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में नामित किया जाना चाहिए या नहीं। मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। अदालत द्वारा ऐसा निर्णय होने तक, कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने, न ही मुकदमा चलाने या मामले का बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई विवाद है कि कानूनी प्रतिनिधि कौन है, ऐसे विवाद पर निर्णय दिया जाना चाहिए। केवल जब कानूनी प्रतिनिधि का प्रश्न अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे कानूनी प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पर लाया जाता है, तो यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है आदेश 22 नियम 5 के तहत

कानूनी प्रतिनिधि कौन है इसका निर्धारण निश्चित रूप से उस मामले के न्यायनिर्णयन के लिए मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए होगा। ऐसे सीमित उद्देश्यों के लिए ऐसा निर्धारण कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रखे गए व्यक्ति को, मृतक की संपत्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की तुलना में, मुकदमे की विषय वस्तु संपत्ति पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

16. आदेश 22 के नियम 4 एवं 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं। जब किसी अपील में प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है, तो अदालत केवल यह नहीं कह सकती कि वह मृत प्रतिवादी की संपत्ति के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों को सुनेगी और अपील का निपटान करने के लिए आगे बढ़ेगी। न ही यह कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों को अपील में पक्षकार के रूप में शामिल कर सकता है, बिना यह तय किए कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई के लिए आगे बढ़ सकता है। अदालत इस निर्णय को भी स्थगित नहीं कर सकती कि मृत प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, अपील के साथ गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। संहिता स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत प्रतिवादी का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संहिता में यह भी प्रावधान है कि जहां

उत्तरदाताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है और जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार नहीं बचता है, तो अदालत, उस संबंध में किए गए एक आवेदन पर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्ष बनाएगी, और फिर मामले के साथ आगे बढ़ें। हालाँकि नियम 5 विशेष रूप से यह प्रदान नहीं करता है कि कानूनी प्रतिनिधि का निर्धारण अपील की सुनवाई से पहले गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, नियम 4 को नियम 11 के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के बाद ही अपील सुनी जा सकती है।

27. कानून के उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए और इस मामले के तथ्यों के अनुसार इसे लागू करते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है, जब यह नीचे उल्लिखित एक से अधिक कारणों से, अपने आदेश दिनांक 19.12.2008 द्वारा पूर्वोक्त आदेश XXII नियम 4 के तहत के. संजीव राव (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने के लिए आगे बढ़ा।

28. सबसे पहले, उच्च न्यायालय को इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए आदेश XXII नियम 5 परंतुक के प्रावधान का सहारा लेते हुए मामले को विचारण न्यायालय में भेज देना चाहिए था कि क्या के. संजीव राव (यहाँ प्रतिवादी संख्या 1) थे। मृतक प्रतिवादी संख्या 1 (गंगुला रामनम्मा) का कानूनी प्रतिनिधि और यदि हां, तो

दिनांक 02.01.1984 की वसीयत के आधार पर किस हैसियत से दत्तक पुत्र या उत्तराधिकारी। दूसरे, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहले निर्णय किए बिना, उच्च न्यायालय न तो आवेदन की अनुमति दे सकता था और न ही वह गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता था। तीसरा, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को दर्ज किए बिना ही आवेदन को अनुमति दे दी कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद मुकदमे की संपत्ति में कोई अधिकार के. संजीव राव (प्रतिवादी संख्या 1) के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था और यदि हां, तो किस हैसियत से। अकेले इस निष्कर्ष ने के. संजीव राव को अपीलकर्ता बनने और योग्यता के आधार पर अपील पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया होगा और अंत में, यह एक ऐसा मामला था जहां प्रश्न की जांच आवश्यक थी और यह केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता था।

29. वास्तव में, हमारी राय में, यह प्रश्न तीन कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले, क्योंकि के. संजीव राव प्रतिवादी नंबर 1 और स्वर्गीय के. सत्यनारायण के विवाह से पैदा हुआ प्राकृतिक पुत्र नहीं है और न ही उसका स्वर्गीय के. सत्यनारायण के साथ कोई रक्त संबंध था। दूसरे, अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु के कारण, यह सवाल खड़ा हो गया है कि उसके हित का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए और तीसरा, इस

न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा है कि प्रतिवादी नंबर 1 कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। स्वर्गीय के. सत्यनारायण राव के मामले में, अब इस निष्कर्ष को प्रभावी बनाना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब यह तय हो जाए कि उनका कानूनी प्रतिनिधि कौन है।

30. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में और जैसा कि अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील ने सही तर्क दिया है, सीपीसी के आदेश XXII नियम 4 के तहत के. संजीव राव द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने वाला दिनांक 09.10.2000 का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है.

31. अब किसी मामले में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हमारे पास दो विकल्प हैं. सबसे पहले, मामले को उच्च न्यायालय में भेजना जो बदले में आदेश XXII नियम 4 के तहत के. संजीव राव द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज देगा जैसा कि सीपीसी के आदेश XXII नियम 5 के प्रावधान में प्रदान किया गया है और जांच रिपोर्ट पर निर्भर करता है , अपील पर फैसला करेगा और दूसरा, इस न्यायालय को इस अपील के सत्र को अपने पास रखना चाहिए और मामले को विचारण न्यायालय में भेजना चाहिए जैसा कि आदेश XLI नियम 25 सपठित आदेश XXII नियम 5 परंतुक के तहत जांच कराने के लिए प्रदान किया गया है और निष्कर्ष प्राप्त होने पर, अंतिम रूप से

विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के आलोक में अपील पर निर्णय लें।

32. इस प्रश्न पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि ऊपर सुझाया गया दूसरा तरीका अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि सबसे पहले, अपील के सत्र को बरकरार रखने और विचारण न्यायालय से निष्कर्ष आमंत्रित करने से समय की बचत होगी, लागत से बचा जा सकेगा और मुकदमेबाजी के चरणों में कमी आएगी और दूसरे, 1985 से लंबित मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाएगा और अंत में, इस तरह का सहारा लेने से, किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा क्योंकि जहां तक योग्यता के आधार पर अन्य मुद्दों की बात है, हमने पहले ही निर्णय ले लिया है और अंत में, आदेश XXII के साथ पढ़े जाने वाले आदेश XLI नियम 25 में आने वाली अभिव्यक्ति "अपीलीय न्यायालय" है। नियम 5 के प्रावधान में न केवल प्रथम अपीलीय न्यायालय शामिल होगा, बल्कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को अपील दायर करने की अनुमति दिए जाने के बाद यह न्यायालय भी शामिल होगा। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय होने के नाते, आदेश XLI नियम 25 के साथ पठित आदेश XXII नियम 5 परंतुक के अंतर्गत उपलब्ध हमेशा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और विशेष रूप से तब जब प्रथम

अपीलीय न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय पक्षकारो के अधिकारों के उचित निर्धारण के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में विफल रहा।

33. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हालांकि हमने मामले में उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर अपील का फैसला किया है, लेकिन इसमें शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अब बाद की घटना को ध्यान में रखते हुए, जो अपील के लंबित रहने और होने के कारण अस्तित्व में आई है। वादग्रस्त मकान के संबंध में पक्षकारो के अधिकारों पर असर डालने वाली एक सामग्री, हम इस अपील के सत्र को बरकरार रखते हैं और इस अदालत को सक्षम करने के लिए जांच करने के लिए मामले को संबंधित विचारण न्यायालय यानि कि (द्वितीय अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायाधीश विजयवाड़ा) को भेजते हैं। सीपीसी के आदेश XXII नियम 4 (सीएमपी नंबर 17902/2000, अंतर्गत एएस नंबर 1842 / 1996) के तहत प्रतिवादी नंबर 1, के. संजीव राव द्वारा दायर आवेदन पर उचित आदेश पारित करें।

34. विचारण न्यायालय आदेश XXII नियम 4 और 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्णय करेगा और प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करेगा कि (1) क्या के. संजीव राव प्रतिवादी नंबर 1 के दत्तक पुत्र हैं और यदि हां, तो कैसे और किस आधार, (2) क्या प्रतिवादी संख्या 1 ने के. संजीव राव के पक्ष में दिनांक 01.02.1984 को वसीयत निष्पादित की है और यदि हां, तो क्या यह कानून के अनुसार वास्तविक वसीयत है और

(3) यदि वसीयत दिनांक 01.02.1984 को वास्तविक माना जाता है, क्या मुकदमे की संपत्ति की वसीयत के. संजीव राव के पक्ष में ऐसी वसीयत द्वारा की गई है?

35. संबंधित सभी पक्षों को आवेदन का जवाब दाखिल करने और मुकदमे में पहले से पेश किए गए सबूतों के अलावा सबूत पेश करने का अवसर देने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा जांच की जाए और तर्कपूर्ण निष्कर्षों को दस्तावेजों और जांच कार्यवाही में दिये गये साक्ष्य के साथ तीन महीने के भीतर इस न्यायालय में वापस कर दिया जाए।

36. रजिस्ट्री इस मामले के संबंध में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के अभिलेख को तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को भेजेगी ताकि विचारण न्यायालय जांच करने और निर्धारित समय के भीतर निर्देशानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके।

37. विचारण न्यायालय से निष्कर्ष प्राप्त होने पर अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

देविका गुजराल

विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किए गए।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।